



न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर राज 0

फौजदारी प्रकरण सं 834/2026 रै.फौ.

राज्य बनाम **अक्षय**

परिवाद संख्या 75/2026 पीएस कोतवाली

अपराध धारा- 60 पुलिस एक्ट

सीएनआर संख्या- RJDG020011392026

दिनांक 11-03.2026

1. अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी थानाधिकारी **पुलिस थाना कोतवाली** की ओर से थानाधिकारी ने **अभियुक्त अक्षय** के विरुद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया गया।
2. अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित, नकल अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। परिवाद पत्र का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** का अपराध प्रथमदृष्ट्या बनना पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 60 पुलिस एक्ट** के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण रेग्यूलर फौजदारी में दर्ज रजिस्टर हो।
3. अभियुक्त को उक्त धारा का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वैच्छया स्वीकार कर अंवीक्षा नहीं चाही तथा पृथक से जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर मुलजिम को उस पर आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज)

4. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि उसे कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया



है व न ही कभी परीवीक्षा पर छोड़ा गया है। अतः अभियुक्त को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

5. चूंकि अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है व पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किए जाने व परीवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम की धारा- 3 के तहत प्रताड़ना दी जाती है।

6. साथ ही धारा 5 परीवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त पर **50/-रूपये अक्षरे पच्चास रूपये** अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं।

7. आदेशानुसार आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से कुल अभियोजन व्यय राशि 50/-रूपये जमा की गई, जो जरिये ई-चालान **जीआरएन नं. 119794959** से जमा की गई।

प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज)